

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

पटना, तारीख: 03.07.13

रां० = 1725 / रा० चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम करनौती, थाना नं०- 133, घरगना-- गयासपुर, थाना बाढ़, जिला पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बाढ़ से बख्तिगार नई बड़ी रेल लाईन निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-- करनौती, थाना नं० 133 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो म्यानक माप से कम-वेश 0.3675 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या- 48, 50, 51, 125 एवं 131 सभी अंश भाग है।

जिरफ्ती चौहद्दी निम्न प्रकार है -


उत्तर : खेसरा सं०- 48, 50, 51, 125 एवं 131 सभी अंश भाग।

पूरव : मौजा मोहम्मदपुर, थाना नं०- 135 वो मौजा- रानीसराए थाना नं० 136 का सीमाना।

दक्षिण : खेसरा सं०-48, 50, 51, 52, 125 एवं 131 सभी अंश भाग।

पश्चिम : मौजा- महमुदपुर, थाना नं०-137 का सीमाना।

भूमि या भूमि के किसी खसरा भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खोज की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल दो भाग जिरा कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है। उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना, या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1.18 की धारा 6 और अधिनियम 18.1885 की धारा 3 के खंड (1) तथा संशोधित अधिनियम के धारा 4 सन 1961 एवं 1984 उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इरासा संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिन भू-अर्जन प्रदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।



समाहर्ता
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

60

सरकार के अवर सचिव

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, विहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरन्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. अई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, विहार, पटना के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।
2